संख्या – 855 /1–10–2011–14(23)/2004टी0सी0

प्रेषक

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 2 मार्च, 2011

विषयः पी0ए0सी0 की बाढ़ राहत कम्पनियों के प्रशिक्षण हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवीय आपदा से निपटने के संबंध में पी0ए0सी0 की बाढ राहत कम्पनियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 10,00000/– (रूपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

वेबसाइट

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(**के0के0सिन्हा**)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 855 / 1–10–2011–14(23) / 2004टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**आनन्द प्रकाश उपाध्याय**)
संयुक्त सचिव।